eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Vol. 02, Issue 08, August 2023

मानव अधिकार एवं घरेलू हिंसाः–महिलाओं के विशेष संदर्भ में

[1]डॉ ज्योति सिंह गौतम
[2]रिचा सेंगर
[1]सहायक प्रोफेसर (राजनीति विज्ञान) राजकीय महिला महाविद्यालय, झॉसी, उ0प्र0
[2]शोधार्थिनी (राजनीति विज्ञान) बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय झॉसी, उ0प्र0

Abstract

मानव अधिकार वे अधिकार हैं जो व्यक्तियों के सर्वांगीण विकास के लिये आवश्यक हैं। ये विश्व के प्रत्येक व्यक्ति को उनके शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास के लिये स्वतः ही प्राप्त हो जाते है। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 10 दिसम्बर 1948 में की गई। इन अधिकारों का अतिक्रमण होने पर अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर उपचारों का भी प्राविधान हैं। समाज में महिलाओं को भी पुरूषों के समान अधिकार प्राप्त हैं। फिर भी उन्हें पुरूषों के समान अपने अधिकारों के उपभोग की स्वतंन्त्रता प्रदान नही की गई हैं। चिंता की बात तो यह है कि 21वी सदी में भी अधिकांश महिलाऐं अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नही हैं। उन्हे मनुष्य होने के नाते मिले प्राकृतिक अधिकारों की कोई जानकारी नहीं हैं, इन अधिकारों से अनभिज्ञ होने के कारण ही स्त्रियॉ स्वयं को पुरूषों के मुकाबले कमजोर समझती हैं। पुरूषों द्वारा महिलाओं की इसी कमजोरी का फायदा उठाया जाता हैं, पुरूष वर्चस्ववादी सोच के कारण पुरूष स्वयं को महिलाओं पर शोषण करने का अधिकारी मान लेते है और महिलायें भी अपने अधिकारों की जानकारी के अभाव में स्वयं को शोषण से नही बचा पाती हैं। इसी कारण महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा होती हैं। यदि किसी महिला का मानसिक, शारीरिक, भावात्मक, मौखिक, मनोवैज्ञानिक य यौन शोषण परिवार के किसी भी व्यक्ति द्वारा किया जाता है, तो उसे घरेलू हिंसा कहते है। पुरूष सत्तावादी समाज होने के कारण पुरूषो को घर का मुखिया माना जाता है तथा महिलाओं से अपेक्षा की जाती है कि वे घर के मुखिया के अनुसार ही जीवन–यापन करे उन्हे परिवार में वह मान–सम्मान तथा स्थान कभी प्रदान नही किया जाता जो पुरूषों को सिर्फ ''पुरूष'' होने के लिये प्रदान किया जाता है समाज के साथ–साथ महिलाओं की मानसिकता यही बन जाती है, कि वे पुरूषो से निम्न हैं। जिस कारण वे अपने ऊपर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ आवाज नही उठा पाती हैं तथा उन पर हो रहे शोषण को भी सामान्य गतिविधि की समझकर स्वीकार कर लेती है। वर्तमान में सरकार द्वारा महिलाओं का उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिये अनेक प्रयास किये जा रहे हैं। जिससे वे अपने अधिकारों को पहचाने तथा अपने साथ हो रहे शोषण के खिलाफ आवाज उठायें। औरतों की आबादी पुरूषों की आवादी के लगभग बराबर ही है तथा समाज में उनका योगदान पुरूषो के बराबर ही है अतः उन्हें भी एक सम्मानजनक जीवन जीने का पूरा अधिकार है।

मुख्य शब्द :– मानव अधिकार, घरेलू हिंसा, सामाजिक न्याय, महिला, पित्रसत्ता आर्थिक स्वतंन्त्रता, महिला अधिकार

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Vol. 02, Issue 08, August 2023

Introduction

प्राचीन युग से ही हमारे समाज में स्त्रियों को एक सम्मानजनक दर्जा प्रदान किया जाता है। भारतीय संस्कृति में कहा गया है–''यत्र नार्यास्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता'' अर्थात् जहॉ स्त्रियों का आदर होता है, वहॉ देवता रमण करते हैं परन्तु वर्तमान समय में हम एक ओर तो नारी को पूजते हैं वहीं दूसरी ओर उस पर अनेक अत्याचार भी करते हैं। समाज में महिलाओं के साथ हो रही घरेलू हिंसा बहुत ही दुखद हैं। इस पित्र सत्तात्मक समाज में महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा एक स्वीकृत प्रथा बन गई है। यदि हम अधिकारों की बात करे तो ये लिंग, जाति, रंग, धर्म, अमीर, गरीब आदि भेद भाव के बिना सभी को समान रूप से प्रदान किये गये हैं परन्तु फिर भी पुरूष वर्चस्व वादी सोच से प्रभावित होकर पुरूषो को महिलाओ से ज्यादा शक्तिशाली माना जाता है। उन्हे महिलाओं के जीवन को नियंत्रित करने का अधिकार मिल जाता है। लम्बे समय से महिलायें पुरूषों द्वारा अपने हो रहे अत्याचारो को अपना भाग्य समझकर सहती आ रही है। जिस कारण घरेलू हिंसा के कारण बढते जा रहे हैं। समाज द्वारा हमेशा से ही महिलाओं को द्वितीय दर्जा प्रदान किया गया है। उन्हें केवल बच्चे पैदा करने की मशीन के रूप मे ही देखा जाता है। महिलाओं के साथ हो रही घरेलू हिंसा उनके मानव अधिकारों का उल्लंघन है। महिलाओ के साथ हो रही इस प्रकार की हिंसा को रोकने के लिये अनेक प्रत्यन किये गये हैं। ऐसा देखा गया है कि महिलाओं के साथ इस प्रकार की हिंसा अक्सर जन्म के पहले ही शुरू हो जाती है अर्थात् लिंग चयनात्मक गर्भपात, कन्या भ्रूणहत्या, आदि के रूप में महिलाओं को हिंसा का शिकार बनाया जाता है। विवाह के बाद भी उन्हें परिवार में अपनी जगह बनाने के लिये अनेक कष्टों का सामना करना पडता है। अक्सर ससुराल वालों द्वारा महिलाओं को दहेज के लिये प्रताडित किया जाता है। अतः दहेज प्रणाली भी घरेलू हिसा के लिये काफी हद तक जिम्मेदार है।

प्रतिवर्ष 10 दिसम्बर को विश्व मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है, क्योकि वर्ष 1948 में इसी दिन संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानव अधिकारो की सार्वभौमिक घोषणा को अपनाया था, इसी के पश्चात वर्ष 1993 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना की गई। भारतीय संविधान में भी मानव अधिकारों को सम्मलित किया गया है। यदि कोई मानव अधिकारों का उल्लंघन करता है तो सजा का प्राविधान भी संविधान में शामिल किया गया है। मानव अधिकार न सिर्फ किसी व्यक्ति को शोषण और भेद–भाव से बचाते हैं बल्कि उनके सर्वांगिण विकास मे भी सहायक होते हैं। महिलाओं को अक्सर कमजोर समझकर उन्हें मूलभूत अधिकारों से भी वंचित रखा जाता है। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के अनुच्छेद 5 के अनुसार किसी भी व्यक्ति के साथ क्रूर, अमानवीय, अपमानजनक व्यवहार नही किया जाना चाहिये परन्तु अधिकांश घरों महिलाओं के साथ ऐसा अपमानजनक व्यवहार सदियों से किया जा रहा है। उन्हे परिवार के सदस्य का स्थान न देकर गुलामी की जंजीरों से बॉध दिया जाता है। महिलाओ के साथ ऐसा अपमानजनक व्यवहार केवल घरो में ही नही बल्कि कार्यस्थलो पर भी होता है। मानव अधिकारो की सार्वभौमिक घोषणा के अनुच्छेद–23 के अनुसार सभी व्यक्तियों को बिना किसी भेद–भाव के समान काम के लिये समान वेतन पाने का अधिकार है परन्तु अक्सर देखा गया है कि महिलाओं को समान काम के लिये पुरूषों के बराबर वेतन नही दिया जाता है, साथ ही साथ उनके साथ अभद्र व्यवहार भी किया जाता है।

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Vol. 02, Issue 08, August 2023

देश मे जहॉ एक तरफ महिलायें सफलता के नये आयाम छू रही हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ महिलायें आज भी अन्याय और हिंसा का शिकार हो रही हैं। महिलाओ की बिगडती स्थिति को देखते हुये सरकार द्वारा महिलाओं को पुरूषों के समक्ष लाने की मुहिम भी तेज हो गई है। सिमोन द बोउवार के अनुसार '' पुरूष को मनुष्य के रूप में और स्त्री को स्त्री के रूप में परिभाषित किया जाता है। जब भी वह मनुष्य की तरह व्यवहार करती है, उस पर पुरूष की नकल करने का आरोप लगाया जाता है।'' महिला के मानव अधिकारों के अन्तर्गत उन्हे वे सभी अधिकार प्रदान किये जाते हैं जो उन्हें मनुष्य होने के नाते मिलने चाहिये। महिलाओं को अपने मानव अधिकार प्राप्त करने के लिये सदियों के लम्बे संघर्ष का सामना करना पडा है। एक लम्बे संघर्ष के बाद ही उन्हें संवैधानिक और कानूनी अधिकार प्राप्त हुये हैं। संविधान के अनुच्छेद 15 (1) के अनुसार राज्य लिंग के आधार पर भारत के किसी भी नागरिक के खिलाफ भेद–भाव नही करेगा। अनुच्छेद 15 (3) विधायका को महिलओं और बच्चों के लिये विशेष प्राविधान बनाने की शक्ति देता है। अनुच्छेद 39 (ए) के अनुसार राज्य का यह कर्तव्य है कि वह यह सुनिश्चित करे कि पुरूषों तथा महिलाओं को समान रूप से आजीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त हों। अनुच्छेद 39 (डी0) में पुरूषों तथा महिलाओं को समान कार्य के लिये समान वेतन देने का भी प्राविधान है। पुरूषों तथा महिलाओं को समान रूप से आजीविका के साधन उपलब्ध हो सकें इसके लिये संविधान में अनुच्छेद 39 (ई) का प्राविधान किया गया है। अनुच्छेद 42 के अन्तर्गत महिलाओं को प्रसूति सहायता प्रदान करने का भी उपबन्ध है। इसके साथ ही राज्य का यह कर्तव्य है कि वह काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं को सुनिश्चित करे।

महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराधों से बचाव के लिये कुछ महत्वपूर्ण कानूनों का भी निर्माण किया गया जो कि निम्न हैं :–

1. **कार्य स्थल उत्पीड़न के खिलाफ अधिकार–**कार्य स्थल पर महिलाओं के साथ छेडखानी करने के मामले लगातार बढते जा रहे हैं, जिस कारण महिलाओं को कार्य क्षेत्र में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस तरह छेडखानी से महिलाये कार्यस्थल पर सुरक्षित महसूस नही करती हैं। देश–विदेश मे तेजी से फेल रहे मीटू मूवमेन्ट ने भी यह साबित कर दिया कि महिलायें कहीं भी पूरी तरह से सुरक्षित नही हैं। महिलाओं के खिलाफ इस प्रकार के अपराधों को रोकने के लिये यौन उत्पीडन (निवारण, निषेध एवं निदान) अधिनियम 2013 लाया गया। यह अधिनियम महिलाओं को कार्यस्थल पर हो रहे उत्पीडन से सुरक्षा प्रदान करता है और यौन उत्पीडन की शिकायतों और अन्य मामलों से भी सम्बन्धित है।
2. **मैटरनिटी लाभ का अधिकार –** मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 प्रसव के पहले और प्रसव के बाद कुछ अवधि के लिये महिलाओं को पूर्ण वेतन के साथ अवकास प्रदान करने का प्रावधान करता है। इसका उद्देश्य महिलाओं तथा उनके बच्चों के स्वास्थ्य की देख–भाल करना है। ऐसी सभी फैक्ट्रीयों, खानो, दुकानों और उद्योंगो जहॉ 10 या उससे अधिक व्यक्ति कार्य करते हैं, उन सभी जगहो पर यह प्रावधान लागू होता है। 2016 में हुये संशोधन के अनुसार दो बच्चों के लिये मातृत्व लाभ की सुविधा 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह कर दी गई है तथा उन्हे घर से काम करने की सुविधा भी उपलब्ध करायी गयी हैं। इसके साथ 50 या उससे

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Vol. 02, Issue 08, August 2023

अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों में क्रेच का अनिवार्य प्रावधान भी रखा गया है। यह अधिनियम इसलिये आवश्यक है कि बच्चे की वृद्धि एवं विकास के लिये बचपन में मॉ द्वारा की जाने वाली देख–भाल अहम होती हैं।

3. **समान वेतन अधिनियम 1976**–महिलाओ के लिये बहुत आवश्यक है कि वे आर्थिक रूप से स्वतंत्र हों। समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 का लक्ष्य पुरूष व महिला कामगारों को समान पारिश्रमिक का भुगतान हो यह सुनिश्चित करना हैं तथा महिलाओं के विरूद्ध लिंग के आधार पर हो रहे भेद–भाव को रोकना है। भारत सरकार द्वारा ऐसे कई कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं जिनका उद्देश्य महिलाओं को शिक्षा एवं व्यवसायिक प्रशिक्षण की सुविधा देना हैं। ''महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम'' इन्ही में एक प्रमुख कार्यक्रम है जो श्रम मंत्रालय मे रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय के अन्तर्गत शुरू किया गया है। महिलाऐं भारतीय श्रमशक्ति का एक अभिन्य हिसा बन चुकी हैं तथा उनका रोजगार का स्तर भारतीय अर्थव्यवस्था के लिये बहुत ही महत्व रखता है।
4. **दहेज निषेध अधिनियम 1961**–दहेज प्रथा जो कि सदियों से चली आ रही है कुछ कूप्रथाओं में से एक है और महिलाओं के साथ हो रही घरेलू हिंसा के भी प्रमुख कारणों में से एक है। अक्सर महिलाओं को दहेज के लिये ससुराल में कई प्रकार से प्रताडित किया जाता है। जिसके कारण कई महिलाओ को अपनी जान भी गवानी पड़ती है। इसी अत्याचार को रोकने के लिये दहेज निषेध अधिनियम 1961 प्रभाव में आया इस अधिनियम के अनुसार दहेज लेना व दहेज देना दोनो ही दण्डनीय अपराध हैं। यदि कोई भी व्यक्ति दहेज लेता या देता हैं या दहेज लेने या देने के लिये उक्साता है तो उसे न्यूनतम 6 माह और अधिकतम 10 साल की कैद हो सकती है। इसके साथ उसे 10000/–रू0 तक का जुर्माना भी देना पड़ सकता है। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के लिये नियुक्त किये गये सुरक्षा अधिकारियों को दहेज सुरक्षा अधिकारियों के दायित्व भी निभाने के लिये अधिकृत किया जायें ऐसा भी विचार प्रस्तुत किया गया है।

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जैण्डर स्टीरियो टाईप कॉम्बेट हैण्ड बुक भी लॉच की गई हैं। जिससे महिलाओं के खिलाफ इस्तेमाल होने वाले आपत्तिजनक शब्दो पर रोक लगाई जा सके। कई अदालतों में अंजाने में महिलाओ के लिये ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता था, जिससे उनकी गरिमा को ठेस पहुचती थी और ये शब्द कहीं न कहीं लैगिक रूढ़ीवादिता की प्रथा को भी बढ़ावा देते थें। इसमें '' करियर महिला'' की बजाय '' महिला'', '' छेडछाड'' के बजायें '' सड़क पर यौन उत्पीड़न'' और '' जवरन बलात्कार'' के बजाय '' बलात्कार'' आदि शब्दो का उपयोग करने का सुझाव दिया गया है। इस निर्णय से न्यायिक चर्चा में अधिक न्याय संगत और निष्पक्ष भाषा के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा।

घरेलू हिंसा– अक्सर देखा गया है कि लोग पति पत्नी के घरेलू झगड़ों में इसीलिये हस्तक्षेप नही करते हैं क्योकि उन्हे लगता है कि यह उनका निजी मामला है परन्तु महिलाओं के साथ हो रहे इस व्यवहार का असर केवल उनके और उनके परिवार तक ही समिति नही रहता है बल्कि समाज की आने वाली पीढ़ियों पर भी पड़ता है। घरेलू हिंसा समाज के लिये एक बुराई है और इसका प्रभाव

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Vol. 02, Issue 08, August 2023

समाज के विकास पर भी पड़ता है। समाज में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को सम्मान पाने का हक होता हैं और किसी भी व्यक्ति को यह अधिकार प्राप्त नही है कि वह महिलाओं के सम्मान या उनकी गरिमा का हनन करे। घरेलू हिंसा न केवल शारीरिक बल्कि आर्थिक, लैग्कि या भौतिक और भावात्मक भी होती है। जब एक पुरूष अपनी पत्नी के साथ हिंसा करता है तो उसे भरोसा होता है कि उसका अपनी पत्नी पर पूरा अधिकार है और वो जो चाहे व्यवहार उसके साथ कर सकता है परन्तु यही समान व्यवहार वह अपने आस–पास के लोगों या अपने कार्य क्षेत्र में नही कर सकता क्योंकि उसे भली भांति ज्ञात होता है कि यहॉ उसकी सत्ता नही चल सकती। कई बार महिलायें अपने सम्बन्धों को बचाये रखने के लिये भी अपने ऊपर हो रहे अत्याचारों को चुपचाप सहती रहती है और वह यह मान लेती हैं कि उनका जन्म तो पुरूषों से दबकर रहने के लिये ही हुआ है। उन्हे इस बात का एहसास भी नही होता है कि यह व्यवहार सामान्य नही है और वे इसके लिये कानून का सहारा भी ले सकती हैं। उन्हे अपने अधिकारों की जानकारी भी नही होती है। महिलाओं को इसी प्रकार की घरेलू हिंसा के बचाने के लिये सरकार द्वारा घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को क्षति पहुंचाना, जख्मी करना या मानसिक, शारीरिक तौर पर उसे खतरे में डालना, दहेज या अन्य सम्पत्ति की अवैध मांग करना या पीड़िता के निकट सम्बन्धियों को धमकी देना घरेलू हिंसा के दायरे मे ंआ जाता हैं।

पीड़िता द्वारा घरेलू हिंसा की शिकायत करने पर कानून के तहत '' संरक्षण अधिकारी'' मजिस्ट्रेट के समक्ष कार्यवाही शुरू करने और पीड़िता को सुरक्षित मकान या चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने में उसकी सहायता करता है। इसके अलावा '' सेवा प्रदाता'' नामक संगठन भी महिलाओं की सहायता के लिये कार्य करता है, यह कानूनी रूप से पंजीकृत संगठन है। इस अधिनियम के अनुसार यदि किसी महिला को अपने साथ घरेलू हिंसा होने की आशंका हो तब भी वह शिकायत दर्ज करवा सकती हैं।

निष्कर्ष – महिलायें हर समाज में हिंसा का शिकार रही हैं, उनके रूपों मे ंभिन्नता हो सकती है लेकिन उस हिंसा को महिलायें सहती हैं। कई बार तो संस्कृति के नाम पर महिलाओ पर कूप्रथाओं को थोपा जाता हैं। इन्ही सब कारणों से महिलाये शोषण का शिकार बनती हैं। यद्यपि सरकार द्वारा महिलाओं सुरक्षित रखने और उन्हें घरेलू हिंसा से बचाने के लिये लगातार प्रयास किये जा रहे हैं परन्तु यह पर्याप्त नही है। जब तक महिलाऐ खुद अपने अधिकारों और अपने साथ हो रही हिंसा के साथ सचेत न हों तब तक उनकी परिस्थिति में परिवर्तन सम्भव नही हैं।

आज हर क्षेत्र में महिलायें पुरूषों के मुकावले ज्यादा सफल हो रही हैं, परन्तु फिर भी कुछ लोग पुरूष वर्चस्ववादी मानसिकता का शिकार होने के कारण उन्हें कमजोर और अबला ही समझते हैं। आज यदि महिलायें अपने आपको सशक्त बना रही हैं तो पुरूषों को भी सोच बदलने की जरूरत हैं। समाज मे चली आ रही रूढीवादी परम्पराओं जहॉ लडकियों को जन्म लेते ही अपने परिवार में भेद–भाव का सामना करना पड़ता हैं इनको जड़ से खत्म करने की जरूरत है तभी हम अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिये एक सभ्य समाज बना पायेगें। जहॉ मानव अधिकार सभी को बराबर से मिलेगें

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Vol. 02, Issue 08, August 2023

और सभी मनुष्य उनका बिना भेद–भाव के उपभोग भी कर पायेंगे। जहॉ महिलाओं को भी बराबर का मान सम्मान मिलेगा और वे भी विश्व के उत्थान मे बराबर की भागेदारी होंगीं।

सन्दर्भ ग्रंथ सूची –

1. नीरा देशाई और कृष्णराज गैत्रयी :– वीमेन एण्ड सोसाईटी इन इण्डिया, अजन्त पब्लिकेशन्स दिल्ली,1987
2. शर्मा, रमा व मिश्रा, ए0के0–भारतीय समाज में नारी, अर्जुन पब्लिशिंग हाउस दिल्ली–2010
3. छिल्लर, मंजूलता–भारतीय नारी शोषण के बदलते आयाम, अर्जुन पब्लिशिंग हाउस दिल्ली–2010
4. परमार, शुभ्रा–नारीवादी सिद्धान्त और व्यवहार ओरयण्ट ब्लैक स्वान प्रा0लि0 हैदराबाद 2015
5. कोशिक, आशा–मानवाधिकार और राज्य : बदलते सन्दर्भ, उभरते आयाम प्वायन्टर पब्लिशर, जयपुर–2004

6- www.wikipedia.com
7- www.nhrc.nic.in
8- www.vikaspedia.in